

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

संख्या-I प्रा0आ0-11/2006.....⁴⁹⁷...../आ0प्र0

पटना-15, दिनांक- 24/2/10

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (2005 का 53) की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, आपदा प्रबंधन (राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें तथा भत्तों का संदाय) नियमावली 2008 में निम्नांकित संशोधन करते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ (i) यह नियमावली आपदा प्रबंधन (राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की सेवा शर्त, भत्ते एवं सुविधा का संदाय) (संशोधन) नियमावली 2009 कही जा सकेगी।

(ii) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. आपदा प्रबंधन (राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें तथा भत्तों का संदाय) नियमावली 2008 के नियम 4 के उपनियम (iv) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

(iv) "उपाध्यक्ष/सदस्यों की अधिकतम उम्र सीमा 70 वर्ष होगी, परन्तु सुयोग्य व्यक्ति के मामले में आपवादिक मामले में अधिकतम उम्र सीमा को 70 से 80 वर्ष तक शिथिल करने की शक्ति अध्यक्ष में निहित होगी। "

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(सतेन्द्र)

सरकार के विशेष सचिव

दिनांक- 24/2/10

संख्या-I प्रा0आ0-11/2006.....⁴⁹⁷...../आ0प्र0

पटना-15, दिनांक 24/2/10 का अंग्रेजी

भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत 4:6 समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(सतेन्द्र)

सरकार के विशेष सचिव

The.....²⁴..... February 2010 No I Pra aa-11/2006...⁴⁹⁷...../Aa Pra- In exercise of Powers conferred by section 14 of the Disaster Management Act 2005 (53 of 2005), the Governor of Bihar is pleased to make the following amendment in Disaster Management (Term of office and conditions of service of Members of

the State Authority and pay and Allowances to Members of Advisory Committee) Rules 2008.

1. Short Title extent and commencement (i) These rules may be called Disaster Management (Term of office and conditions of service of Members of the State Authority and pay and Allowances to members of Advisory Committee) (Amendments) Rule 2009.

(ii) These rules shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

2. Sub rule (iv) of rule 4 of Disaster management (Term of office and conditions of Service of Members of the State Authority and Pay and Allowances to Member of Advisory Committee) Rules 2008 shall be substituted by the following:-

(vi) "The maximum age for Vice Chairman/ Members will be 70 years, but in case of deserving person in exceptional cases the power of relaxation of maximum age limit from 70 to 80 will be vested in the chairperson."

By the Order of Governor

(Satendra)

Special Secretary to Govt.

ज्ञापांक- 497/आ0प्र0,

पटना-15, दिनांक- 24/2/10

प्रतिलिपि: अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को अधिसूचना की दो प्रति एवं सॉफ्ट कॉपी (सी0डी0) सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि इसे राजपत्र के आगामी अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाय।

विशेष सचिव

ज्ञापांक- 497/आ0प्र0,

पटना-15, दिनांक-

24/2/10

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष सचिव

ज्ञापांक- 497/आ0प्र0,

पटना-15, दिनांक- 24/2/10

प्रतिलिपि: सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव

ज्ञापांक- 497/आ0प्र0,

पटना-15, दिनांक- 24/2/10

प्रतिलिपि: सचिव, बिहार विधान सभा/ बिहार विधान परिषद को सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष सचिव

ज्ञापांक- 497/आ0प्र0,

पटना-15, दिनांक- 24/2/10